

रजिस्टर्ड/अन्तिम अवसर

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-स.3(9)(07)स्था./मंत्रा/अभि/2015/ 702-13

दिनांक :- 4-5-17

प्रेषित:-

श्रीमती विमला कुमारी,  
पत्नि स्व. श्री जबरा राम,  
निवासी C/O श्री पैमाराम पुत्र श्री हीराराम मेघवाल,  
मुकाम पोस्ट करवाडा, तह0 रानीवाडा,  
जिला जालौर राजस्थान 343040,

विषय:- मृतक आश्रित के रूप में लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद पर नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में दस्तावेज जमा कराने बाबत।

सन्दर्भ:- अभियोजन निदेशालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 4435 दिनांक 21.04.16, 7586 दिनांक 06.07.16, 11639 दिनांक 21.10.16, 13184 दिनांक 28.11.16 एवं 3489 दिनांक 15.03.17 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि संदर्भित पत्र के द्वारा आपको मृतक आश्रित के रूप में लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद पर नियुक्ति दिये जाने हेतु चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के तीन प्रपत्र, नियत परिश्रामिक पर नियुक्ति की सहमति का पत्र तथा शपथ पत्रों का एक सेट भिजवाया गया था, प्ररन्तु आपने उक्त दस्तावेजों की पूर्ति कर मूल शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ अभियोजन निदेशालय में आज दिनांक तक भी जमा नहीं कराये हैं। आप द्वारा प्रेषित पत्र से उक्त दस्तावेज संवय की बीमारी के कारण पूर्ति कर भिजवाने में असमर्थता बताई है तथा उक्त सभी दस्तावेजों की पूर्ति कर दिसम्बर 16 तक जमा कराने निवेदन किया है। अतः पुनः पत्र प्रेषित कर लेख है कि उक्त दस्तावेजात भिजवाये जाने पर ही इस विभाग द्वारा आपको मृतक आश्रित के रूप में लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद पर ही नियुक्ति दी जा सकती है।

अतः आपको उक्त दस्तावेज जमा कराने हेतु अन्तिम अवसर दिया जा रहा है, उक्त दस्तावेज पत्र प्राप्ति के 7 दिवस में अभियोजन निदेशालय में जमा कराये अन्यथा आपकी नियुक्ति पर इस विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी और आपका आवेदन पत्र कार्मिक विभाग को वापिस भिजवा दिया जावेगा।

(अशोक कुमार शर्मा)  
उप निदेशक अभियोजन  
(मुख्यालय)  
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. नोडल अधिकारी, सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय) राज. जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(अशोक कुमार शर्मा)  
उप निदेशक अभियोजन(मु.)  
राजस्थान जयपुर।